



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 920659



श्यामलाल

ट्रस्ट डीड/ न्याय-पत्र

मैं श्यामलाल यादव पुत्र स्व० लछिराम यादव निवासी स्याई पता-नरिया जैन लॉज जिला वाराणसी वर्तमान पता ग्राम पहाड़ीपोड़ी-स्थान-उन्नाव परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी का निवासी हूँ। मैं अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से अर्जित धन में से 60,000/- (साठ हजार रुपये) देकर निम्न नामधारी ट्रस्ट/न्याय की स्थापना करता हूँ। इस ट्रस्ट/न्याय का प्रबन्धन कार्य प्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियम/उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी।

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम- | श्यामलाल- रम्भा देवी एजुकेशनल ट्रस्ट |
| 2. ट्रस्ट का कार्यालय एवं पता- | ग्राम पहाड़ीपोड़ी-स्थान-उन्नाव परगना देहात अमानत तहसील सदर जिला वाराणसी। |
| 3. कार्यक्षेत्र- | सम्पूर्ण भारत वर्ष। |
| 4. ट्रस्ट का उद्देश्य- | ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होंगे:- |

श्यामलाल

श्यामलाल
Dehra Dun
Dehra Dun

50) श्यामलाल यादव अं. पहाड़ी 900

ओमप्रकाश बरनवाल
ह्याम डिपेंड
दीवानी सल्लुवा, वाराणसी
ला 0-29/119/23/8

60,000.00 600.00 20 620.00 1,000
न्यास की राशि फॉस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

श्री श्यामलाल यादव
पुत्र श्री स्व० लछिमन यादव
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी हाल पता पहाड़ी, डी एल डब्ल्यू वाराणसी
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/10/2015 समय 12:34PM
वजे निबन्धन हेतु पेश किया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव
SRO2

Sub Registrar-II VNS
28/10/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने भजमून

न्यासी श्री श्यामलाल यादव
पुत्र श्री स्व० लछिमन यादव
पेशा कृषि
निवासी हाल पता पहाड़ी, डी एल डब्ल्यू वाराणसी



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री अजय कुमार पटेल
पुत्र श्री रामजी प्रसाद उर्फ घुरेलाल
पेशा कृषि

निवासी रमना मलहिया वाराणसी

व श्री राजेश्वर तिवारी एड०

पुत्र श्री राजेश्वर तिवारी

पेशा कलेक्टरी कचहरी वाराणसी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र राशियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

महेन्द्र प्रताप यादव
SRO2
Sub Registrar-II VNS
28/10/2015



र प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 589865

(3)

4. गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालश्रमिक, दलित, विकलांगों, मेधावी, निराश्रित, असहाय तथा मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों, वीरगति प्राप्त, विकलांग सैनिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना।
5. पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना एवं विलुप्त हो रहे जीव जन्तुओं के रोकथाम की व्यवस्था करना।
6. मातृ शिक्षा कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों, टीकाकरण शिविरों, पल्स पोलियो शिविरों, दवाखानों, चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता, निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
7. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कम्प्यूटर हार्डवेयर, कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं डिजाइनिंग, इण्टरनेट, साइबर कैफे, सिलाई कढ़ाई, कढ़ाई, कर्ताई, बुनाई, तकनीकी, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला, कम्प्यूटर टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक, पेंटिंग, जरी-गढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कालनी, बुनाई, दरी बुनाई, संगीत, नाट्य, वाद्य, कला, नृत्य, ब्यूटी पार्लरों, आई0टी0आई0, पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।

शा. म. हा. त.

2110
Manager

Deputy Manager





UTTAR PRADESH

BF 589866

(4)

8. बालक/बालिकाओं, कलाकारों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन, संचालन करना, सफल बालक-बालिकाओं, कलाकारों को पुरस्कृत करना।
9. किसी भी अन्य ट्रस्ट अथवा समिति द्वारा संचालित महाविद्यालयों, विद्यालयों एवं संस्थानों को अधिकार में लेकर संचालित करना एवं सलाहकार परिषद में शामिल होकर संस्था का विकास करना आदि।
10. योग शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु योगाश्रमों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज में व्याप्त-कुरीतियों, यथा-दहेज, बाल विवाह, नशा, गॉंजा, शराब, अफीम, भॉंग, तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना।
12. जनविकास में निःशुल्क पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन व वितरण करना तथा इसके निमित्त कार्य करना।
13. गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों, मूत्रालयों, सफाई, पेयजल तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
14. बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा अब्बुआ मजदूरों को मुक्त कराकर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना।

27/0
Manager
Adoon International School
Varanasi

गामलात



प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 589867

(5)

15. विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग, भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण करना।
16. भारत सरकार, प्रदेश सरकार, जिला तहसील, ब्लाक तथा न्यास पंचायत स्तर पर जनविकास, विशेषकर शिक्षा विकास की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।
17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्ल्यू०एच०ओ०, सिडबी, अवार्ड, कपार्ट, नवार्ड, नोराड, इडा,सूडा, डवाकर, डी०आर०डी०ए०,आई०आर०डी०पी०, एस०जे०आर०वाई, एस०जे०,एस०वाई०, जे०आर०वाई०, अम्बेडकर ग्राम, समग्र ग्राम, स्वजलधारा, सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना।
18. वाटरशेड एसोसिएशन/जलप्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
19. गृह मंत्रालय द्वारा संचालित एफ०सी०आर०ए० की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवारजनों के कल्याण के लिए कार्य करना।
20. समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०, बी०पी०एड०, सी०पी०एड०, बी०टी०सी०, बालक एवं बालिकाओं हेतु इण्टरकालेज का निर्माण/स्थापना आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालित करना।

शामला त

2110

Manish

7-10-2000 Inter
Naren.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 589868

(6)

21. दैवीय आपदा यथा-बाढ़ सूखा, भूकम्प महागारी, ओलावृष्टि, तूफान आदि के समय लोगों की यथासम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन दवा इलाज, आवास, वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना।
22. वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों एवं सौर ऊर्जा के साधनों का विकास करना, उन पर महत्वपूर्ण शोध करना उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना, देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए आधिकारिक संख्या में वैकल्पित ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संसाधन, उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठी का आयोजन करना।
23. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सी0बी0एस0ई0 विद्यालयों, आई0सी0एस0ई0 विद्यालयों, इन्दिरा गाँधी मुक्त विद्यालयों, फार्मसी कालेजों, मेडिकल कालेजों इंजिनियरिंग कालेजों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
24. ट्रस्ट द्वारा पूर्व में संचालित/संचालित की जाने वाले संस्थाओं के विकास/निर्माण हेतु किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक या निजी क्षेत्र के बैंक अथवा ऐसी संस्थाएँ जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है उनसे नियमानुसार आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं संस्था हित में लगाना।

शामला त
9/10
Manager
Behradoon International S
Varanasi



प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 589877

(7)

25. संस्था विकास में 8 ई0जी0 व 12ए0 फार्मों की मान्यता प्राप्त करना एवं कार्यक्रमों को संचालन करना।
26. ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं या किसी भी तरह के आय का 1/10 वां भाग अनिवार्य रूप से जनमानस तक पहुँचाने का कार्य अथवा आवश्यक स्लोगन अलग-अलग जगहों पर पर्चा या लिखित रूप से प्रचार-प्रसार करना।
27. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं में जनमानस में परिचर्चा प्रतियोगिता करना एवं ट्रस्ट के आय से 1/10 वां हिस्से से प्रतिभागियों को पारितोषिक भत्ता एवं इनाम आदि देना।

5. न्याय की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियाँ

1. न्याय की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री श्यामलाल यादव द्वारा दिये गये रुपये 60,000/- (साठ हजार रुपये) की धनराशि ट्रस्ट की मूल धनराशि कही जायेगी।
2. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों को अप्रभावित रखते हुए और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में कुछ भी विपरीत लिखे होते हुए भी, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेगी।

श्यामलाल

27/0
Manager
Dehradun International School
Varanasi



देश UTTAR PRADESH

BF 589878

(8)

3. ट्रस्ट/न्यास के लिए सहयोग, चन्दा, आम जनता, किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कॉर्पोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तों के साथ या बिना शर्तों के स्वीकार करना।
4. इस न्यास पत्र की शर्तों के अधीन न्यास की सम्पत्तियाँ तथा आय या उसके किसी भी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेक अनुसार समय-समय पर उपयोग करना।
5. न्यास राशि को बढ़ाने हेतु न्यास की शर्तों के अधीन न्यास के लिए चल व अचल सम्पत्तियाँ प्राप्त करना।
6. न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय-समय पर न्यास की सम्पत्तियों का विक्रय करना, बंधक रखना, पट्टे पर देना लाइसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तर्गत करना।
7. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 115) एवं सम्बंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।
8. विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना परिवर्धन करना या निरस्त करना।
9. न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना, अनुबन्ध करना तथा उन्हें परिवर्तित एवं निरस्त करना।

2/1/10
Manager

Darapoon International School
Varanasi

भारत



र प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 589862

(9)

10. न्यास के उद्देश्यों हेतु अनुदान प्राप्त करना या देना उसकी रसीद देना या प्राप्त करना।
11. सरकार के समक्ष तथा न्यायालय, ट्रिब्यूनल, राजस्व, म्युनिस्पल तथा स्थानीय निकाय आदि के सम्मुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमों, वाद, अपील, रिव्यू चाहे वह न्यायालय के समक्ष या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिब्यूनल के समक्ष वादी को दायर करना, उन्हें चलाना तथा ऐसे वादों में जो न्यास के विरुद्ध दायर किये गये हो न्यास के हित की प्रतिरक्षा करना।
12. न्यासियों द्वारा निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को न्यास के कार्यों हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवाएँ समाप्त करना। न्यास परिषद के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित नहीं किया जा सकेगा या चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
13. न्यास के सम्पत्ति या क्रिया-कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिए न्यास परिषद जो भी व्यय या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना।
14. न्यास या उनके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैंक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैंक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना।

2110

Manager

International School
Varanasi

शामलाल



र प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

15. न्यास परिषद की समिति पर अपनी कुछ शक्तियां किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करना, परन्तु ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधिन रखना।
16. न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तांतरित करना, जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80जी में मान्यता प्राप्त हो।
17. न्यासियों की सहमति पर लोगों को न्यास की संचालित संस्थाओं का समय-समय पर सदस्य बनाना तथा नियम व परिनियम को बनाना तथा उनमें परिवर्तन करना, परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्य को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।
18. न्यास राशि के लिए सभी प्रकार की कार्यवाही शर्तों, मांग, दावों, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करना, मध्यस्थ को सौंपने तथा समीयाचित करना।
19. समय-समय पर मुख्तारेआम, या मुख्तारेआस, या अभियक्ता नियुक्त करना और मुख्तारेआम या मुख्तारेआस या अभिकर्ता को अपनी शक्तियां प्रतिनिधित्व करना और अधिकृत करना तथा समय-समय पर ऐसे या मुख्तार व अभिकर्ता को हटाना व उनके स्थान पर अन्य नियुक्त करना।
20. न्यास की सम्पत्ति पर या किसी अन्य प्रकार से जमानत पर या जमानत बिना ऋण लेना और न्यासीगण की सहमति पर न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण

2770

शा. म. हा. न.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 541079

(11)

घनराशि देय ब्याज इत्यादि की शर्तों के निर्धारण व्यासीगण की विवेकानुसार किया जायेगा।

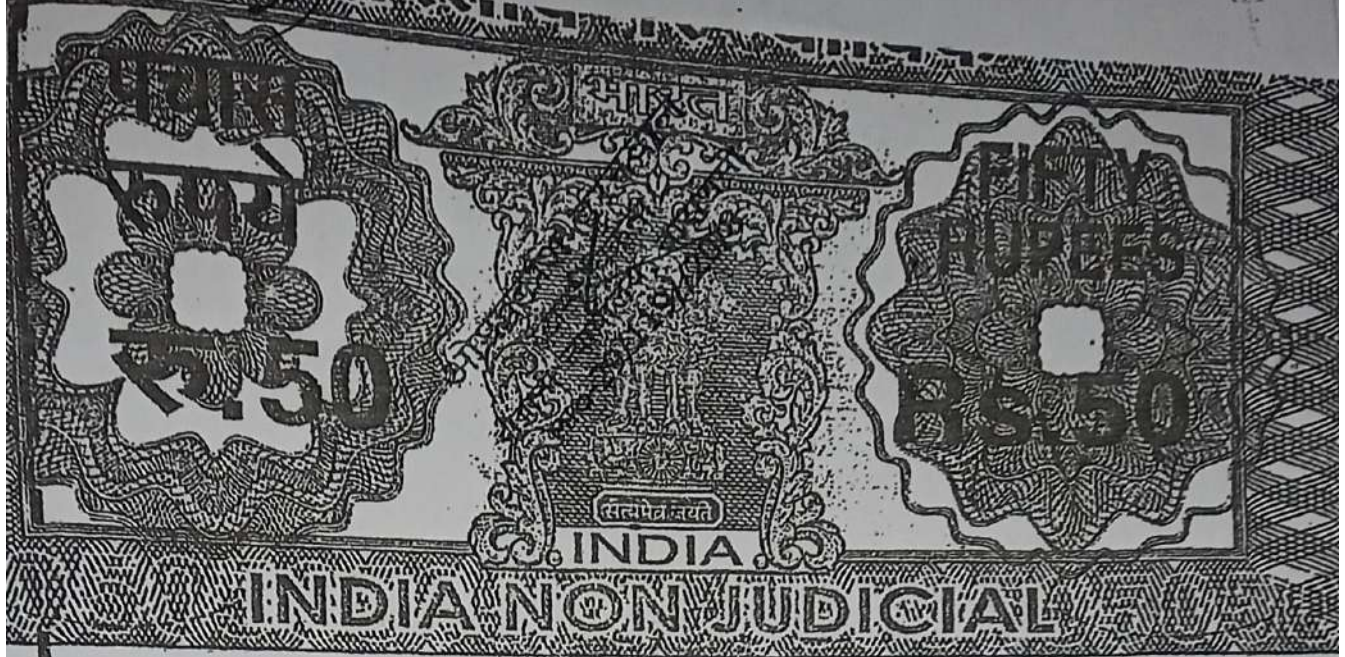
21. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार, सहकारी संस्थाएँ, कॉर्पोरेशन कम्पनी व अन्य व्यक्तियों से दात, चन्दा, उपहार, अनुदान, नगद, एवं धन लेने के लिए प्रार्थनापत्र देना तथा चन्दा आदि प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में सहायता सम्बंधि शर्तों को निश्चित करना तथा शासकीय विभागों, सरकारी संस्थाओं, कॉर्पोरेशन कम्पनी एवं अन्य व्यक्तियों आदि से न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वार्ता करना, समझौता करना तथा अनुदान को प्राप्त तथा ऋण वापसी इत्यादि की शर्तों इत्यादि निर्धारित करना।
22. न्यासीगण की सहमति पर न्यास को अन्य समान उद्देश्यों वाले न्यास/सोसाइटी/संगठन व संस्था का सहयोगी बनाना या सम्मेलन करना जो कि आयकर अधिनियम 1861 की धारा 80जी में मान्यता प्राप्त हो या ऐसी संस्थाओं को अपने अधिकार में लेना।
23. न्यास की अन्य शाखा तथा अन्य न्यास का उसकी शाखा (जिनके उद्देश्य समान हो) को स्थापित करना, अनुरक्षित करना, व्यवस्थित करना, सहायता करना, संचालित करना, या उन्हें इस न्यास से जोड़ना या इस न्यास में सम्मिलित कर लेना।

शामला

Shilo
Manager
Behradoon International School



श्यामलाल यादव, 67/ पहाड़ी वार्ड



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 541078

(12)

24. ऐसी संस्थाओं को लेना या उन पर नियंत्रण करना या उन्हें प्रतिबंधित करना या उन्हें सहायता देना या अनुरक्षित करना जिनका उद्देश्य न्यास के समान व समकक्ष हो तथा इस सम्बन्ध में शर्तें लागू करना।

संस्थापक सदस्यों एवं नियमानुसार बनावे गये अन्य सदस्यों/ट्रस्टी/न्यासी को मिलाकर सभी सदस्यों को ट्रस्ट की साधारण सभा/न्यासी परिषद कहा जायेगा।

श्यामलाल यादव ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेमें तदोपरान्त श्रीमती रम्भा देवी पत्नी श्यामलाल यादव ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेगी। तदोपरान्त श्यामलाल यादव की वंशावली का पुरुष सदस्य संस्था का अध्यक्ष बनेगा। तदोपरान्त किसी भी पुरुष व्यक्ति के न होने पर महिला सदस्य संस्था की अध्यक्ष बनेगी।

अध्यक्ष पद पर कभी भी किसी भी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठेगा जो श्यामलाल यादव का वंशज न हो।

6. ट्रस्ट का सदस्य बनने की योग्यता

न्यास पत्र के बिंदु 7 में उल्लिखित प्राविधानों के बावजूद ऐसा कोई व्यक्ति ट्रस्ट का सदस्य या अध्यक्ष नहीं बन सकता जो-

1. पागल/मानसिक रूप से बीमार हो।
2. नैतिक अपराध के आरोप में सजायाफ्त हो।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करें।



श्यामलाल



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 541077

(13)

यदि ट्रस्ट का कोई सदस्य सदस्य बनने के बाद उक्त तीनों में से किसी एक प्रतिबन्ध के अन्तर्गत आ जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे किसी भी सदस्य को अध्यक्ष अपने विवेकानुसार कभी भी बर्खास्त कर सकेगा।

7. ट्रस्ट की कार्य प्रणाली-

1. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगी। अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा वह प्रबन्ध समिति एवं ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा।
2. कोई भी निर्णय ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किये जाने पर ही ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा।
3. ट्रस्ट की साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष दो बार कराया जाना आवश्यक होगा। बैठक बुलाने का दायित्व एवं बैठक में लिए गये समस्त निर्णयों तथा अन्य विचार विमर्श को लिपिबद्ध करते हुए सुरक्षित रखने का दायित्व सचिव मंत्री का होगा।
4. ट्रस्ट की साधारण सभा सदस्य संख्या के $1/4$ की उपस्थिति बैठक के संचालन हेतु आवश्यक होगी। इसके अभाव में कोरम (गणपूर्ति) का अभाव माना जायेगा। कोरम के अभाव में स्थगित हुई बैठक के एक माह के भीतर दुबारा बैठक करना अनिवार्य होगा।

शामला

2/10
Manager
Dehradun International School



AW 541076

प्रदेश UTTAR PRADESH

(14)

5. कोरम (गणपूर्ति) के अभाव में बैठक आयोजित न होने की दशा में या अन्यथा भी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के हित में लिया गया कोई निर्णय ट्रस्ट का निर्णय माना जायेगा। किन्तु ऐसे किसी भी निर्णय के एक समर्थन में संस्थापक सदस्यों की कम से कम कुल सदस्य संख्या 1/3 सदस्यों की लिखित सहमति आवश्यक होगी।

6. बैठक की सूचना सभी सदस्यों को उनके स्थाई पते पर रजिस्टर्ड डाक/मोबाईल या फोन के माध्यम से बैठक के दिनांक से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी। अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम चयनित किये गये हैं।

7. ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति-

ट्रस्ट के निम्नपदाधिकारी होंगे-

1. सचिव/मंत्री- विजय शंकर यादव पुत्र श्यामलाल यादव।

2. कोषाध्यक्ष- श्रीमती रम्भा देवी पत्नी श्यामलाल यादव।

ट्रस्टियों/न्यासीगणों के अधिकार

ट्रस्ट के पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नवत् अधिकार होंगे-

(क) अध्यक्ष-

ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारु संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना।

1. मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना।

श्यामलाल

2/10
8/10/2007



UTTAR PRADESH

(15)

2. ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
 3. न्यास व न्यास से सम्बंधित समस्त संस्थाओं व सभी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा संचालन तथा सेवा समाप्ति।
 4. न्यास/न्यास से सम्बंधित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के क्रियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना।
 5. न्यास के सभी पत्राचार अध्यक्ष के नाम होंगे।
 6. न्यास की समस्त राशियों का व खातों का कोषाध्यक्ष की सहायता से संचालन।
 7. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब-किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैंकों में उन्हें कोषाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत करना।
 8. जहाँ कहीं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो, वहाँ अन्तिम निर्वहन करना।
 9. संस्था हित में अन्य सभी आवश्यक कार्यों को निष्पादन करना व सर्वाधिकार सुरक्षित रखकर न्यास के कार्य को मजबूती एवं कानूनी आधार प्रदान करना।
- (ख) प्रबन्धक/मंत्री
1. ट्रस्ट की वार्षिक बैंकों एवं अन्य सभी प्रकार की बैंकों का आयोजन करना।
 2. ट्रस्ट एवं सम्बंधित संस्थाओं की समस्त प्रकार की कार्यवाही की बैंक में प्रस्तुत करना एवं अध्यक्ष के निर्देशानुसार समस्त प्रकार के प्रशासनिक कार्य करना।

2/1/18

Monag

International

श्रीमता ह

Scanned by CamS



UTTAR PRADESH

AW 541074

(16)

(ग) कोषाध्यक्ष-

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त प्रकार के वित्तीय कार्य करना एवं उसकी रख-रखाव करना तथा अध्यक्ष के निर्देशानुसार उसके साथ खातों का संयोजन करना।
2. अध्यक्ष की लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त किसी व्यक्ति को ट्रस्ट का सदस्य बनाने हेतु शुल्क प्राप्त करना तथा तदनुसार ही चल/अचल सम्पत्ति दान के रूप में प्राप्त करना।
3. अपने दायित्वों से सम्बंधित समस्त प्रकार के अभिलेखों का रख रखाव करना।

(घ) ट्रस्टी सदस्य

ट्रस्ट की बैठक में प्रतिभाग करना तथा मत देना।

ट्रस्ट डीड में संशोधन

वर्तमान ट्रस्ट डीड में यदि प्रबन्ध समिति संशोधन कराना चाहे तो संस्करण सभा के दो तिहाई बहुमत के आधार पर वांछित किया जा सकेगा जो पंजीकरण की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

विघटन

अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अधीन होगा।

शाला
Manager
Shaloo International School

शाला



UTTAR PRADESH

BF 589879

(17)

मैं श्यामलाल यादव पुत्र स्व० लछिराम यादव निवासी स्थाई पता-वरिया जैन
लॉज जिला वाराणसी वर्तमान पता ग्राम पहाड़ीपी-डी-रामपुर परगना देहात अमानत
तहसील सदर जिला वाराणसी दिनांक 28.10.2015 ई० को इस ट्रस्ट का
पंजीकरण कराकर इसकी स्थापना करता हूँ।

गवाह नं० 01-

नाम-

पिता का नाम-

पता-

अजय कुमार परियार
श्री लाल
राम जी प्रसाद उर्फ श्री लाल
रमना भोलापुर वाराणसी

गवाह नं० 02-

नाम-

पिता का नाम-

पता-

मसविदाकर्ता-

टाईपकर्ता-

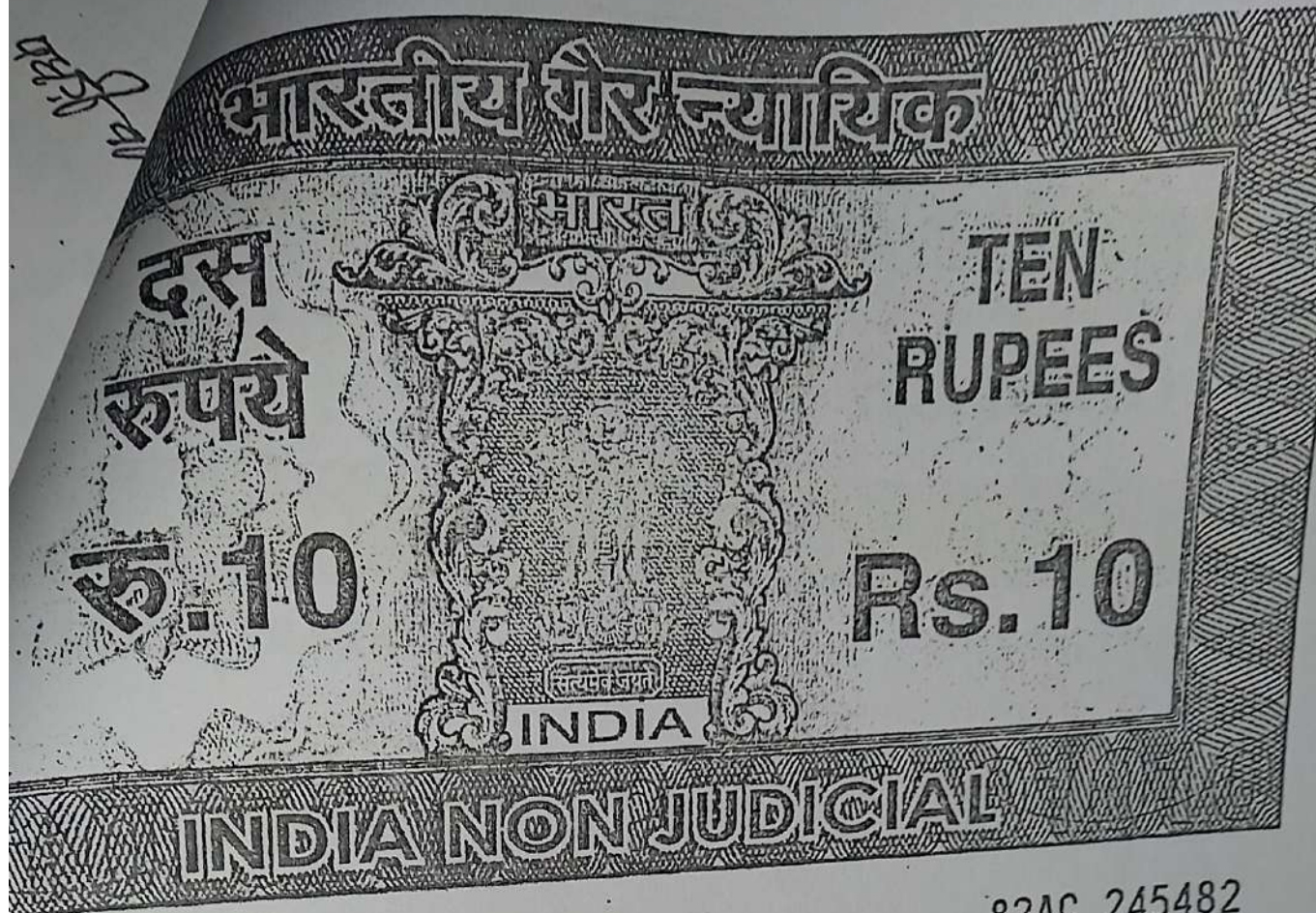
जिम्मा लाल 1250
कचहरी (Collector) V.N.S.
Puj Narade Adv.
मो० नं० 9335222913
राम प्रसाद
दीवानी कचहरी वाराणसी।

श्यामलाल

2/10

an International Journal
Vols.

Scanned by CamScanner



प्रदेश UTTAR PRADESH

(18)

82AC 245482

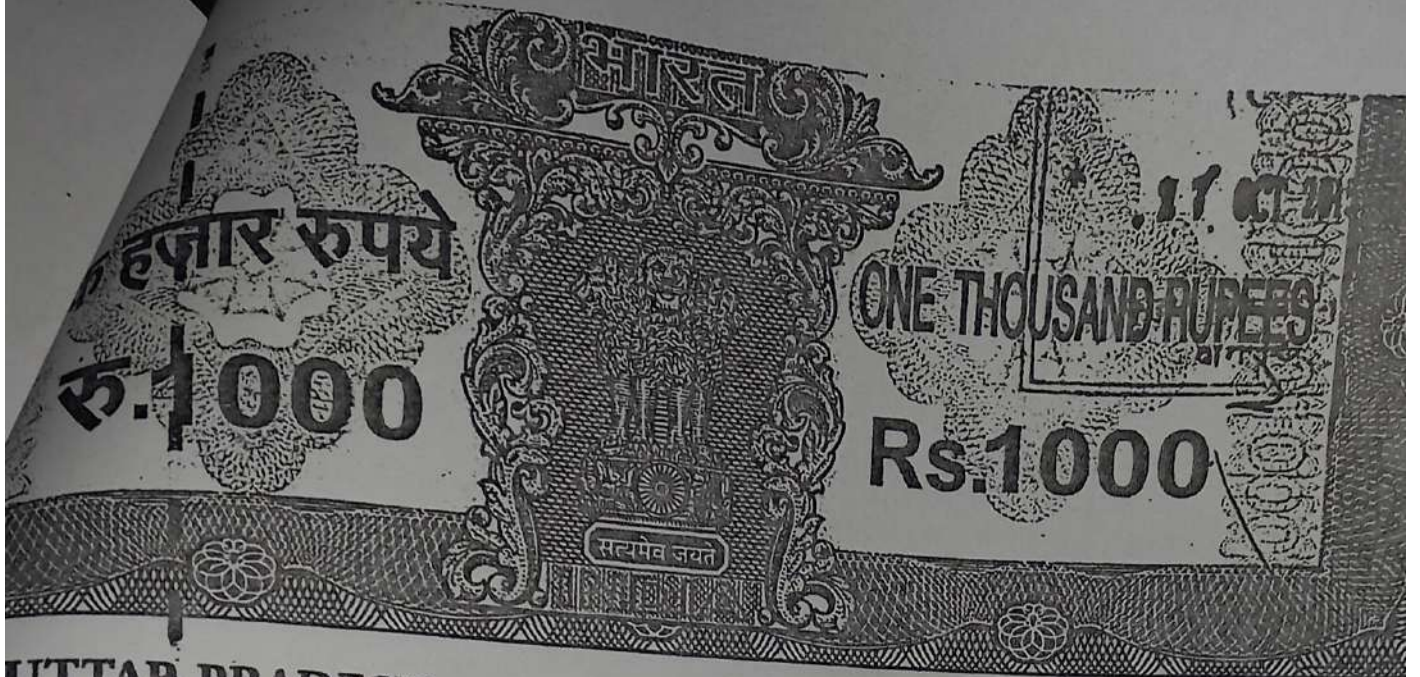
नोट- ट्रस्ट की सम्पत्ति को खरीदने व बेचने का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष को होगा तथा ट्रस्ट की खेती की जमीन भी खरीदने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। तथा महिला महाविद्यालय एवं पुरुष एवं महिला महाविद्यालय। तथा बी०टी०सी०, बी०एड महाविद्यालय खोलने का भी अधिकार अध्यक्ष को होगा।

पेज सं० 1 के तीसरी लाईन व नौवीं लाईन व पेज नं० 17 की दूसरी लाईन में शब्द पहाड़ी व परगना के बीच में "पो० डी०एल०डब्ल्यू" हाथ से लिखा गया है जो सही है।

२॥ महान्त

2/10
Manager
Maharaj International School
Varanasi

Scanned by CamScanner



UTTAR PRADESH

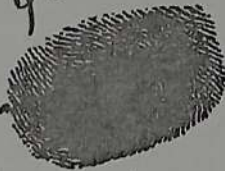
AT 687723

(19)

चूंकि ट्रस्ट डीड में नियमानुसार 10,000/- रुपये तक साढ़े सात सौ रुपये का स्टम्प

शुल्क व शेष 50,000/- रुपये पर 4 प्रतिशत की दर से मुबलिय- 2000/- रुपये इस

श्री. म. लाल



2/10



र प्रदेश UTTAR PRADESH

V 9211

(20)

तरह कुल स्टाम्प मुबलिंग-28,00/- रुपये का अदा किया जा रहा है।

दिनांक-28.10.2015 ई0

१॥ मलाल

2170
Manager
Dehradun International School
Varanasi

